

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008

61 (4212) / खाद्य, पटना-15, दिनांक- 28/01/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं0-पी0-3456001980101, मांग सं0-18, राज्य योजना के विषयशीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।


महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-382 दिनांक 06.01.2016 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु राज्य/ जिला / प्रखंड/ शहरी/ वार्ड / पंचायत स्तरीय निगरानी समिति, अनुमंडल अनुश्रवण समिति एवं पटना अनुभाजन अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 396/वि0 दिनांक 24.04.2015 में निहित निर्देशों के अनुपालन में संलग्न तालिका के अनुसार कुल 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र को आवंटित करते हुए व्यय करने हेतु आवंटित की जाती है ।

| क्रमांक | मुख्यशीर्ष | लघुशीर्ष | विषयशीर्ष | उपशीर्ष | राशि |
|-------------------|------------|----------|--|--|--------------------|
| 1. | 3456 | 198 | 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ | 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता । | 2,50,00,000 |
| कुल योग :- | | | | | 2,50,00,000 |

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं0-पी0-3456001980101, मांग संख्या राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगी ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।



4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008-61(अनई) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008-61(अनई) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008-61(अनई) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16
प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा- 07 एवं 05 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

उप
१२

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, मांग सं०-18 विपत्र कोड संख्या-पी० 3456001980101 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आवंटन विवरणी:-

| क्र०सं० | जिला का नाम | रवीकृत राशि |
|---------|----------------|-------------|
| 1 | पटना - | 657894 |
| 2 | नालन्दा | 657894 |
| 3 | भोजपुर | 657894 |
| 4 | बक्सर | 657894 |
| 5 | रोहतास | 657894 |
| 6 | भभुआ | 657894 |
| 7 | गया | 657894 |
| 8 | जहानाबाद | 657894 |
| 9 | अरवल | 657894 |
| 10 | औरंगाबाद | 657894 |
| 11 | नवादा | 657894 |
| 12 | सारण | 657894 |
| 13 | सीवान | 657894 |
| 14 | गोपालगंज | 657894 |
| 15 | मुजफ्फरपुर | 657901 |
| 16 | वैशाली | 657894 |
| 17 | सीतामढ़ी | 657894 |
| 18 | शिवहर | 657894 |
| 19 | प० बम्पारण | 657894 |
| 20 | पूर्वी बम्पारण | 657901 |
| 21 | दरभंगा | 657894 |
| 22 | मधुबनी | 657901 |
| 23 | रामस्तीपुर | 657901 |
| 24 | सहरसा | 657894 |
| 25 | सुपौल | 657894 |
| 26 | मधेपुरा | 657894 |
| 27 | पूर्णिया | 657894 |
| 28 | अररिया | 657894 |
| 29 | किशनगंज | 657894 |
| 30 | कटिहार | 657894 |
| 31 | मुंगेर | 657894 |
| 32 | जमुई | 657894 |
| 33 | लखीसराय | 657894 |
| 34 | शेखपुरा | 657894 |
| 35 | वेगूसराय | 657894 |
| 36 | खगड़िया | 657894 |
| 37 | भागलपुर | 657894 |
| 38 | बांका | 657894 |
| | कुल योग:- | 25000000 |

रुपये (दो करोड़ पचास लाख) मात्र


सरकार के संयुक्त सचिव ।

